न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास श्री रतनलाल रेगर आर ए एस)

प्रकरण संख्या 32/2017 प्रार्थनापत्र एलआर

अनवान

1. श्री सोहनलाल पिता घीसा रेगर निवासी देवपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा। .... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0 ..... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– **श्री कैलाश चन्द्र सोमाणी वकील प्रार्थी**

–:: निर्णय ::–

दिनांक 25-4-17

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम लाम्बियाकंला की जमाबंदी सम्वत् 2070 से 73 मे खतौनी संख्या 816 के आराजी संख्या 1887 रकबा 1–15 बीघा, आराजी संख्या 3042/1887 रकबा 3–10 बीघा प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है।

मौका रिपोर्ट एंव राजस्व रेकार्ड अनुसार आराजीयात का मिलान करने पर आराजी संख्या 1887 रकबा 1–15 बीघा के स्थान पर 3–10 बीघा व आराजी संख्या 3042/1887 रकबा 3–10 बीघा के स्थान पर 01–15 बीघा नक्शे अनुसार रकबा जमाबन्दी में दर्ज कर संशोधन किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 01.03.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की जरिये सम्मन तलबी की गई। विपक्षी ने प्रार्थी के प्रार्थना के प्रा.पत्र को स्वीकार किये जाने मे किसी प्रकार की कोई आपत्ती नही होना जाहिर करते हुए दिनांक 18.04.2017 को राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा की ओर से इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया जिसमें विपक्षी द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र से सलंग्न प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे प्रार्थना पत्र में इंगित विवरण सही होना वर्णित है।, जिसे रिकार्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस व प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र तथा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत दस्तावेजी पर अध्ययन व मनन पश्चात प्रार्थी का प्रा.पत्र सहमति से स्वीकार योग्य है प्रतीत होता है।

–:: आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बनेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात वाके ग्राम लाम्बियाकंला की जमाबंदी सम्वत् 2070 से 73 मे खतौनी सख्या 816 के आराजी संख्या 1887 रकबा 1–15 बीघा के स्थान पर 3–10 बीघा व आराजी संख्या 3042/1887 रकबा 3–10 बीघा के स्थान पर 01–15 बीघा राजस्व नक्शे के अनुसार जमाबन्दी रकबे में संशोधित किया जावें।

यह आदेश आज दिनांक 25-4-17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/प्रा.पत्र. एलआर /प्र.स. 32/2017 दिनांक 25/4/2017

प्रतिलिपि:–

तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि माफिक आदेश के राजस्व अभिलेखों में पालना की जाकर मय पालना रिपोर्ट के नकल जमाबंदी सहित 30 दिन की समयावधि में प्रस्तुत करने की सुनिश्चित करें।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा